

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 15/2018-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

अनिकेत मुण्डा

- विक्रेता

पार्वती कुमारी

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
12.07.18	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक अनिकेत मुण्डा पिता रावकन मुण्डा उर्फ रौकन तिडू ग्राम तिरला, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने पार्वती कुमारी पिता जुरन सिंह मानकी ग्राम बुढाडीह, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="326 667 1393 768"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>तिरला</td> <td>78</td> <td>13</td> <td>672</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 1493815755 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 530 दिनांक 13.06.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम डाडु मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार डाडु मुण्डा वगैरह है। आवेदक के पास रकबा 10.05 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 9.95 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रे ता-वि क्रे ता को भूमि क्रय-वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अनिकेत मुण्डा पिता रावकन मुण्डा उर्फ रौकन तिडू को पार्वती कुमारी पिता जुरन सिंह मानकी के साथ ग्राम तिरला के खाता सं० 13 खेसरा संख्या 672 का रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">               12/07/18              भूमि सुधार उपसमाहर्ता,              खूँटी।         </p> <p style="text-align: right;">               12/07/18              भूमि सुधार उपसमाहर्ता,              खूँटी।         </p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	तिरला	78	13	672	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
तिरला	78	13	672	0.10								

अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।